कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।

पत्रांक 1961/14–1(26448/2017),आगरा, दिनांक, 02 ,नवम्बर, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय :– 765 के0वी0 डबल सर्किट उरई–अलीगढ़ पारेषण लाइन निर्माण हेतु एटा में 1.23 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, फिरोजाबाद में 0.8072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, मैनपुरी में 0.7884 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग कुल 2.8256 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ :– आपका पत्रांक 839/उरई–अलीगढ़ लाइन दिनांक 17.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्रांक 1546/14–1 दिनांक 31.10.2018 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी के पत्रांक 998/14–1 दिनांक 23.10.2018 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। प्राप्त आख्या के आधार पर बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण सहमति/संस्तुति सहित निम्नवत् है :–

क0सं0	आपत्तियॉ	आख्या
1	प्रभागीय निदेशक, मैनपुरी द्वारा बिन्दु सं0–3 पर दी गयी सूचना में उल्लंघन रोकने में विफल विभागीय दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।	बिन्दु सं0–3 के कम में अवगत कराना है कि अपने पदीय कर्तव्यों न करने वाले कर्मचारी श्री राजेश कुमार, वनरक्षक (प्रथम), श्री महाराज सिंह, वनरक्षक एवं श्री प्रवेन्द्र कुमार, वनविद को प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी की पत्र सं0 कमशः शि0 26, शि0 27 व शि0 28 दि0 11.09.2018 द्वारा कारण बताओ नोटिस (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया है। तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
2	प्रभागीय निदेशक, एटा द्वारा बिन्दु–3 पर दी गयी सूचना में एन0पी0वी0 के दण्डात्मक गणना में भारत सरकार के पत्र दि0 29.01.2018 के बिन्दु–बी(1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ब्याज का समावेश नहीं किया गया है।	एन0पी0वी0 की दण्डात्मक गणना में भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के प्राविधानों के अनुसार ब्याज का समावेश कर संशोधित आगणन संलग्न है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(जावेद अख्तर)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक / समदिनांकित ।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को उनके उक्त पत्रांक के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी को उनके उक्त पत्रांक के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जावेद अख्तर)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।